(५१)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक निग. 3522/पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 538/11-12/अपील.

आर.सी. जैन पुत्र ज्ञानचंद जैन
निवासी शारदा विहार कॉलोनी, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन जर्ये अनुविभागीय अधिकारी,
   डबरा, जिला ग्वालियर
2. कलेक्टर, जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री के.एल. राजौरिया, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिलीप सिंह तोमर, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 10.07.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, बिलौआ द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक आर.सी. जैन द्वारा ग्राम बिलौआ की शासकीय भूमि सर्वे क्र. 3717/1 रकबा 64.58 हैक्टेयर में से 0.418 हैक्टेयर पर बिना अनुमति के क्रेशर लगाकर 5945 घन मीटर खनिज पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन किया गया है। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र.क्र. 4/11-

12/अ-67 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आदेश दिनांक 07.01.2012 से पकरण में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर अवैध उत्खनन के बाजार मूल्य का दुगना 4,28,040 लाख रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा कलेक्टर, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। कलेक्टर द्वारा दिनांक 25.05.2012 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 10.07.2013 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत शासकीय भूमि पर से अवैध उत्खनन एवं परिवहन का कृत्य एक आपराधिक कृत्य (PENAL CLUSE) है, जिसे विधि के प्रावधानों एवं साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक अर्थदण्ड से दण्डित करने के पूर्व उसके विरूद्ध लगाये गये आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार शासन पर जाता है, लेकिन आवेदक के विरूद्ध लगाया गया अवैध उत्खनन का आरोप किसी भी दशा में प्रमाणित नहीं है। धारा 247(7) के अंतर्गत अवैध उत्खनन की जांच नायब तहसीलदार द्वारा की गई है और मौके का पंचनामा पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया और उस पर से खनि निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट में दर्शाये गये उत्खनित खनिज का आंकलन कर उसका प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसे प्रतिवेदन (अभियोग पत्र) का अंग बनाया गया है, लेकिन पंचनामें पर न तो नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर है और न ही खनि निरीक्षक गोविंद शर्मा के ही हस्ताक्षर हैं। पटवारी हल्का द्वारा बनाया गया पंचनामे पर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से आवेदक के विरूद्ध धारा 247(7) के अंतर्गत प्रतिवेदन मान्य किया जाना कतेई न्यायसंगत नहीं है।

(2) पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये पंचनामे के प्रथम दृष्टया अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि दर्शायेगये गढ्ढे में पानी भरा हुआ था। गढ्ढा स्वीकृत क्षेत्र के अंदर था या बाहर, कितना भाग स्वीकृत क्षेत्र के अंदर था और कितना भाग स्वीकृत खेत्र के बाहरथा, कतई स्पष्ट नहीं है। कारण कि जो पंचनामा तैयार किया गया है, उसके प्रथम दृष्टया

अवलोकन से धारा 247(7) एवं 248 अपराध का उल्लेख किया गया है। पंचनामे को धारा 247(7) का अंग मान्य भी लिया जावे तो उल्लेखित पंचनामें में अवैध रूप से उत्खनित खनिज का कतई उल्लेख नहीं है। उल्लेखित गढ्ढे में निरीक्षणके समय पानी भरा हुआ था, तो उसकी पैमाईश किस प्रकार की गई, शंकास्पद है।

(3) प्रकरण के तथ्यों लेखबद्ध की गई साक्ष्य से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि मौके की जांच खनि अधिकारी द्वारा नहीं की जाकर तहसीलदार द्वारा की गई है, जिनके कथन अंकित नहीं कराये गये हैं। कथन पटवारी हल्का आर.के.दिनकर के कराये गये, जो इस हेतु सक्षम अधिकारी नहीं था। खनि निरीक्षक के कथनों एवं पटवारी के कथनों में पर्याप्त भिन्नता है। पटवारी हल्का जांच के समय अपने कथनों में उत्खनन कार्य जारी होना बताता है, जबकि खनि निरीक्षक (श्री गोविंद शर्मा) अपने कथनों में "जहां पानी भरा हो, वहां उत्खनन नहीं किया जा सकता"। खनि निरीक्षक के कथनों से स्पष्ट है कि उसने आवेदक को स्वीकृत क्षेत्र के अलावा अन्य किसी क्षेत्र पर अवैध उत्खनन करते हुए नहीं देखा है। फलस्वरूप खनि निरीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रमाणित नहीं होते हुए भी आवेदक को भारी अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

(4) संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत आवेदक पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित करने का भार राज्य शासन पर जाता है और आवेदक पर शास्ती आरोपित करने के पूर्व निम्न अवयव सिद्ध होना अनिवार्य था-

Matters to be enquired into- In a case under section 247(7) the matters to be enquired into are:-

i. The place from where the mineral was extracted;
ii. That it was extracted without lawful, authority;
iii. The quantity extracted; and
iv. The market price of the mineral extracted.

(5) आवेदक के विरूद्ध जो प्रतिवेदन खनि निरीक्षक श्री गोविन्द शर्मा द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, उसके प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से अवैध उत्खनन की अवधि कतेई प्रमाणित नहीं है। प्रस्तुत प्रतिवेदन प्रारूप बिंदु 3 में अवैध उत्खनन किस अवधि के बीच का है, का कहीं भी कोई उल्लेख न होकर रिक्त छोड़ा गया है। पटवारी द्वारा बनाये गये पंचनामे में पानी भरा हुआ बताया गया है और उसके संबंध में खनि निरीक्षक श्री गोविन्द्र शर्मा से पूछे जाने पर उनके द्वारा बताया गया है कि "जिस गड्डे में पानी भरा हो उस पर

खनिज का उत्खनन नहीं किया जा सकता''। उल्लेखित गड्डा स्वीकृत क्षेत्र की सीमा में है अथवा उसके बाहर कतेई प्रमाणित नहीं है। फलस्वरूप प्रतिवेदन एवं पंचनामे से तथा कथनों से कथित अवैध उत्खनन की ठीक जगह कौन सी है और कितने समय के बीच अवैध उत्खनन किया गया, कतेई प्रमाणित नहीं है। फलस्वरूप आवेदक के विरूद्ध की गई कार्यवाही मात्र अटकलों एवं अनुमानों के आधार पर की गई है। इस संबंध में 1994 आर.एन. 241 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(6) प्रकरण के तथ्यों एवं तैयार किये गये पंचनामे एवं अंकित कराये कथनों तथा लेखीय साक्ष्य से यह कतेई प्रमाणित नहीं है कि अवैध उत्खनन की वास्तविक मात्रा क्या है। मौके पर अवैध रूप से उत्खनित खनिज, उपकरण औजार अथवा किसी प्रकार का कोई वाहन जप्त नहीं किया गया एकमात्र पानी भरे हुये गड्डे की पैमाईश बताकर आवेदक को अवैध उत्खनन का दोषी होना बताकर दंडित किया गया है, जो किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं है। इस संबंध में 1979 आर.एन. 579 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(7) पटवारी हल्का एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 07.10.2011 को नायब तहसीलदार के नाम आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए उसमें खनिज के अवैध उत्खनन का उल्लेख न कर अवैध अतिक्रमण का उल्लेख किया गया है। फलस्वरूप पंचनामा एवं आवेदन से अवैध उत्खनन का प्रकरण प्रमाणित नहीं होते हुए भी आवेदक के विरूद्ध विधि विरूद्ध आदेश पारित कर आरोपित अर्थदण्ड से दंडित किया गया है और विचारण न्ययालय द्वारा आरोपित अर्थदण्ड के संबंध में प्रथम एवं द्वितीय न्यायालयों द्वारा बगैर साक्ष्य का विश्लेषण किये एवं तथ्यों का परीक्षण किये विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके संबंध में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वाह कर आवेदक के विरूद्ध पारित किये आदेशों को निरस्त किया जाना पूर्ण न्यायसंगत है। इस संबंध में 1985 आर.एन. 441 एवं पेज 284 जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खेतसिंह विरूद्ध म.प्र. राज्य एवं वंशीलाल विरूद्ध म.प्र. राज्य जिसमें राजस्व मंडल द्वारा स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।
अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर

रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि सभी अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर आवेदक का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया है जो कि मौके पर लिये गये छायाचित्र एवं दस्तावेजों से प्रमाणित है, ऐसी स्थिति में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-

> "धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं ।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-7-2013 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-7-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर